



2026:AHC:17557

इलाहाबाद न्यायिक उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 939/2026

मोहम्मद शफीक

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : बलराम मिश्र

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम मिश्र, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक मोहम्मद शफीक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें पुलिस स्टेशन बखीरा में दर्ज अपराध संख्या 463/2025, धारा 2 (बी) (i), 3 (1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस प्रकरण में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के एक मुकदमे का पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक नहीं है और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित गिरोह की गतिविधियों में दुष्प्रेरण या सहायता की है। आवेदक का उपरोक्त प्रकरण को छोड़कर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जा गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 4.12.2025 से जेल में बंद है, ने वचन दिया कि वह स्वतंत्रता, अगर दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के दृष्टिगत, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों को छोड़कर आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य प्रकरण की ओर संकेत नहीं किया है।

अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं पाता हूँ कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन को **अनुमति दी जाती है।**

आवेदक, **मोहम्मद शफीक** को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार धनराशि का एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और उसी धनराशि के प्रत्येक दो विश्वसनीय जमानतदार को प्रस्तुत करने पर उपरोक्त प्रकरण की अपराध संख्या में जमानत पर अवमुक्त किया जाए-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के आरंभ, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।